

झारखण्ड सरकार

सहकारिता विभाग

निविदा आमंत्रण सूचना

दिनांक 16.11.2011 से 18.11.2011 तक राँची में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय कृषि, सहकार एवं पशुपालन मेला –सह– प्रदर्शनी में स्टॉल एण्ड गेट, चाहर दिवारी निर्माण, विधुत व्यवस्था, साज सज्जा, विडियोग्राफी, नाश्ता भोजन, उपस्कर आपूर्ति एवं साउण्ड सिस्टम आदि हेतु इच्छुक एवं सक्षम फर्मों से तकनीकी एवं वित्तीय मुहर बन्द निविदाएँ दिनांक 20.10.2011 तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा विवरणी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में ₹1000/- डी0डी0 जमा कर प्राप्त की जा सकती है अन्यथा यह विवरणी www.sameti.org या www.icdpjharkhand.co.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने की स्थिति में तकनीकी बिड के साथ ₹1000/- का डी0डी0 जमा करना होगा।

किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना श्री एस0 एच0 हसन, उप निबंधक, सहयोग समितियों, झारखण्ड, राँची से दूरभाष संख्या 9534027222 पर प्राप्त की जा सकती है।



निबंधक,
सहयोग समितियों, झारखण्ड,
इनजिनियर हॉस्टल संख्या- 2,
धुर्वा, राँची।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग,

कृषि, सहकार एवं पशुपालन मेला –सह– प्रदर्शनी, 2011

विवरणी

झारखण्ड सरकार के द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 2011 से 18 नवम्बर, 2011 तक राँची स्थित मोराबादी मैदान में संयुक्त कृषि, सहकार एवं पशुपालन मेला –सह– प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों के द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जाएगी तथा राज्य के विभिन्न विभागों एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने-अपने विभागों/प्रतिष्ठानों के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रदर्शनी भी किये जायेंगे। उक्त अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। मेला –सह– प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे जिनके खाने-पीने की व्यवस्था भी रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन लगभग 1.80 लाख वर्गफीट क्षेत्र में किया जाएगा उक्त क्षेत्र में किराये के सामग्रियों द्वारा व्यापक स्तर पर घेराबंदी/मंच/स्टॉल आदि का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में निम्नांकित सामग्रियों की आपूर्ति एवं निर्माण के लिए इच्छुक एवं सक्षम फर्मों /अभिकरणों से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1. लगभग 1.80 लाख वर्गफीट को घेरते हुए 10 फीट उँचा कोरगेट शीट (पी0पी0 स्टील शीट) द्वारा घेराबंदी। कुल लम्बाई 1800 रनिंग फीट (लगभग)
2. (A) कोलाप्सिबल गेट का 12 फीट चौड़ा मुख्य द्वार – 1 पीस
(B) कोलाप्सिबल गेट 3 फीट चौड़ा – 1 पीस
(C) मुख्य द्वार के फेसिया निर्माण (डिजाईन के अनुरूप) – 1 पीस जो लगभग 20 फीट चौड़ा, 15 फीट उँचा होगा।
(D) अग्निशामक हेतु 12 फीट चौड़ा द्वारा कोलाप्सिबल गेट – 1 पीस
3. बांस और कपड़े का ढका-धिरा वाटर प्रूफ कारपेट युक्त स्टॉल: (स्टॉल का निर्माण ले-आउट के अनुरूप होगा)
(A) 10 फीट चौड़ा X 12 फीट गहरा लम्बा X 10 फीट उँचा – 100 पीस
(B) 20 फीट चौड़ा X 12 फीट गहरा X 10 फीट उँचा – 50 पीस
(C) प्रत्येक स्टॉल में 3 टेबल (2' X 5'), 3 कुर्सी, 1 पावर प्वाइंट, 2 ट्यूब लाईट, 3'X10' का फ्लैक्स
(D) पुलिस पोस्ट- 20X20' का एक वाटर प्रूफ।

नोट : प्रत्येक स्टॉल के उपर 3 फीट उँचा होडिंग स्पेस रहेगा।

4. प्रशासकीय भवन का निर्माण :-

लगभग 1000 वर्गफीट द्वारयुक्त- खिडकीयुक्त 15 फीट उँचा कार्यालय जिसकी छत वाटरप्रूफ तारपोलिन शीट की होगी। पूरे जमीन पर लकड़ी की तख्तों का 6 ईंच उठाकर फ्लोरिंग होगा,



जिसपर कारपेट बिछा होगा। अन्दर 10 फीट उँचे कपड़ों के पार्टिशन द्वारा यथा निर्धारित कार्यालयों में विभाजित होगा।

- (A) इंडियन और यूरोपियन कमोड फ्लश के साथ, शौचालय तथा बेसिनयुक्त नल की व्यवस्था।
1000 हजार लीटर पानी प्रत्येक दिन की व्यवस्था। बेसिन के पीछे आईना लगा रहेगा (VIP रूम से सटा हुआ) कुल - 1 पीस
- (B) भवन के फेसिया का निर्माण (डिजाईन के अनुरूप)

मुख्य कार्यक्रम मंच निर्माण:-

- (A) 1800 (60 X 30) वर्गफीट 4 फीट उँचा सेन्ट्रींग द्वारा मजबूत वाटरप्रूफ मंच का निर्माण।
जिसपर एक साथ 40 लोगों के भार को सहन करने की क्षमता हो।
- (B) मंच के पीछे 12 फीट उँचा ग्रीन रूम रहेगा। जिस का क्षेत्रफल लगभग 20 फीट X 20 फीट X 28 फीट होगा।
- (C) मंच पर ही बैकड्रॉप के लिए 40 फीट चौड़ा X 12 फीट उँचा बांस /लोहा का फ्रेम किया जायेगा।
- (D) नन वाटर प्रूफ 90X150' पंडाल का निर्माण
5. फूड स्टॉल निर्माण (लेआउट डिजाईन के अनुरूप) लगभग 125 वर्गफीट का एक स्टॉल जो 9 फीट उँचा होगा जिसकी छत टीन के चादर से बनेगी। दिवार तथा शीलिंग निर्धारित ढंग के कपड़ों से किया जाएगा। कुल- 4 पीस
6. घेराबंदी (वैरेकेटिंग) का निर्माण :-
मुख्य मंच के दोनों तरफ।
7. पानी के नल एवं शौचालय का निर्माण तथा साफ सफाई का कार्य :-
- (A) फूड स्टॉल के पास 6 पीस बेसिनयुक्त तथा 3 पीस नल के साथ प्रत्येक दिन पांच हजार लीटर पानी की व्यवस्था। वाटर डिस्पेंसन के माध्यम से पीने के पानी हेतु पांच स्थानों पर प्याउ की व्यवस्था।
- (B) 5 फीट X 4 फीट द्वारयुक्त शौचालय (8) - पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग (डीप टेंच लैट्रिन) बेसिनयुक्त पीने का पानी - 3000 लीटर का इन्तजाम एवं 3 नल।
- (C) प्रत्येक दिन सुबह-शाम सड़क एवं खुले स्थानों पर पानी का छिड़काव।
- (D) आवश्यकतानुसार प्रत्येक दिन शौलाचयों तथा अन्य स्थानों की सफाई।
- (E) पूरे परिसर में 25 स्थानों पर कूड़ेदानों की व्यवस्था तथा तय समयान्तराल पर कचड़ा के उठाव एवं निपटारे की व्यवस्था करनी होगी।

नोट: क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 8 तक के सारे कार्यों का रख-रखाव तथा मरम्मत का कार्य मेले के अन्तिम दिन तक आपूर्तिकर्ता को ही करना होगा। ऐजेन्सी को उपर्युक्त के अतिरिक्त राँची नगर निगम से अस्थायी जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु आवश्यक समन्वय भी करना होगा।

8. (A) उपस्कर (अनुमानित) :-

1. प्लास्टिक कुर्सी - 2000
2. वीआईपी कुर्सी - 100
3. सोफा साधारण 5 सेट, वीआईपी - 3 सेट
4. सेन्टर टेबल साधारण - 10 पीस, वीआईपी - 3 सेट
5. नेट चटाई - 50000 फीट में लगभग (ले आउट डिजाईन के अनुरूप सड़क को कवर करने के लिए)
6. ड्राम - 4
9. 1. उद्घाटन समारोह एवं समापन समारोह के लिए मुख्य मंच पर 15 - 30 विशिष्ट अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, सामने सेन्टर टेबल, जो झालर एवं टेबलकलॉथ से कवर रहेगा, जिसे ताजा फूलों द्वारा सजाया जाएगा।
2. पोडियम 1 पीस दो दिनों के लिए - उद्घाटन एवं समापन समारोह के लिए।

10. प्रकाश उपस्कर (अनुमानित) :-

- 1) मरकरी - 200 पीस
- 2) मेटल लाईट - 75 पीस
- 3) हैलोजन - 25 पीस
- 4) सोडियम लाईट - 50 पीस
- 5) सिलिंग झाड़ - 5 पीस
- 6) बल्ब - 1000 वाट - 25 एवं 500 वाट - 6 पीस
- 7) लोहा पोल. - 30 पीस
- 8) बेड रोल - 150 पीस (तोसक, तकिया, चादर)
- 9) विडियोग्राफी - प्रति दिन दो घंटे का C.D./Media के साथ
- 10) एलसीडी - 52" - 3
- 11) सीसी कैमेरा - 5 (कैमेरा के साथ)
- 12) फोटो एलबम - (150 फोटो के साथ) - 2 पीस
- 13) 10 होर्डिंग फ्लैक्स - दर प्रति वर्गफीट

नोट :- मुख्य मंच तथा अन्य स्थानों पर प्रकाश उपकरण लगाने के लिए टावर का निर्माण स्वयं आपूर्तिकर्ता को करना होगा तथा अस्थाई बिजली की व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग/जेएसईबी से समन्वय करना होगा।

11. ध्वनि (माईक) - (अनुमानित)

- 1) दो फीडबैक एवं 1000 वाट साउण्ड बॉक्स - 6 पीस
- 2) कोडलेस माईक - 2 पीस (मुख्य मंच हेतु)

- 3) 1000 वाट साउण्ड बॉक्स – 2 पीस
- 4) माईक सेट (कार्यालय हेतु) – 2 पीस
- 5) पूरे परिसर में लाउडिस्पीकर (चौगा) – 4 पीस

नोट :- क्रम संख्या 11 से क्रम संख्या 12 तक में वर्णित उपस्करों/सामग्रीयों को बताये गये स्थान पर लाने/हटाने तथा उसके रख-रखाव का कार्य मेले के अन्तिम दिन तक आपूर्तिकर्ता को ही करना होगा।

12. नास्ता :-

पूरी – 6 पीस, सब्जी – 150 ग्रा0, जलेबी – 2 पीस एवं चाय 50 ML (2000 व्यक्तियों के लिए)

खाना :-

चावल – 100 ग्रा0, दाल – 25 ग्रा0, सब्जी – 100 ग्रा0, भुजिया – 50 ग्रा0 एवं आचार (3000 व्यक्तियों के लिए)

13. श्रम बल/सुरक्षा व्यवस्था :-

1. पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रहरी की व्यवस्था (सुरक्षा व्यवस्था दिनांक 15.11.2011 से 18.11.2011 तक करनी होगी।)
2. रात्रि में स्टॉल में प्रदर्शित उत्पादों एवं सामग्रियों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था।

14. कार्य निर्माण सम्पादन एवं समन्वयन :-

1. कार्य के सुचारु कार्यान्वयन एवं सयोजन के लिए पूरे मेला समय के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की उपलब्धता।
2. निर्वाध विद्युत आपूर्ति एवं सुसंगत ध्वनि उपकरण संचालन के लिए तकनीकी व्यक्ति की पूरे मेला समय के लिए उपलब्धता।
3. सामग्री आदि की उपलब्धता एवं व्यवस्था के लिए पूरे मेला समय के लिए जानकार व्यक्ति की उपलब्धता।

● अनिवार्य अहर्तायें :-

1. निविदा करने वाले फर्म/ऐजेन्सी विधिवत निबंधित होनी चाहिए।
2. ऐजेन्सी का सर्विस टैक्स का पंजीकृत प्रमाण पत्र अवश्य हो।
3. ऐजेन्सी को वैद्य श्रम अनुज्ञप्ति (Labor License) प्राप्त हो।
4. विगत तीन वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक आय-व्यय (Turn Over) न्यूनतम रूपये 75.00 लाख हो।

R

5. फर्म/एजेन्सी को इस तरह के न्यूनतम पांच आयोजनों का राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
6. फर्म/एजेन्सी किसी भी सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थानों की काली सूची में न हो।
7. S.S.I. निबंधन


उपरोक्त सभी अहर्ताओं से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

➤ नियम एवं शर्तें :-

1. आवश्यकतानुसार कार्यों के क्षेत्रफल एवं संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
2. उपरोक्त सभी कार्यों के लिए अलग-अलग रूप से निर्धारित प्रपत्र में ही दर अंकित करना होगा।
3. बिना कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को रद्द करने और एक ही निविदा को एक या एक से अधिक निविदा दाताओं में बँटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. निर्धारित कार्य समाप्ति अवधि तक कार्य पूरा नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
5. कार्यक्रम समाप्ति के एक दिन पहले व्यवहृत सामग्रियों की गणना कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिनांक 21.11.2011 तक पूर्ववत् स्थिति में लाकर खाली कराना आवश्यक होगा।
6. किसी प्रकार की सामग्रियों की ढोलाई का भाड़ा विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
7. एजेन्सी/फर्मों को कार्यादेश के आलोक में सामग्रियों की ससमय आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी तथा उक्त सामग्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता को स्वयं करनी होगी।
8. अग्रधन राशि के रूप में निविदा दाताओं को रुपये 75000/- (Refundable) मात्र जमा करना होगा। अग्रधन की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा **निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड** के नाम से देय होगा तथा इसी तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
9. चयनित निविदा दाताओं को कार्यादेश के अतिरिक्त सामग्रियों की आपूर्ति तथा निर्माण करने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यादेश का भुगतान निर्धारित सरकारी दर पर ही किया जाएगा।
10. वॉछित प्रपत्र संलग्न नहीं होने पर निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
11. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहर बंद लिफाफा में बंद कर मुख्य लिफाफा में जमा कराई जाएगी। हरेक लिफाफा पर दस्तावेजों का शीर्षक साफ और मोट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
12. तकनीकी निविदा में सफल एजेन्सियों की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
13. चयनित एजेन्सी को कुल कार्यादेश मूल्य की 5% राशि Performance security के रूप में जमा करानी होगी, जो कि संतोषप्रद कार्य सम्पन्न होने के बाद एजेन्सी को लौटा दी जाएगी। असंतोषप्रद कार्य की स्थिति में Performance security की राशि जप्त कर ली जाएगी।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20.10.2011 (4:00 बजे अपराह्न) तक।

निविदा उपरोक्त सभी शर्तों के अनुसार संबंधित प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ दिनांक 20.10.2011 को अपराह्न 4:00 बजे तक कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियों, अभियंत्रण छात्रावास संख्या-2, धुर्वा, झारखण्ड, राँची कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। दिनांक 21.10.2011 को अपराह्न 2:00 बजे निविदाओं के प्रतिनिधियों के सामने निविदा खोली जाएगी।



निबंधक,
सहयोग समितियों,
झारखण्ड, राँची।